

मुख्यमंत्री के नाम पर चौंका दिया मोदी ने



मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुनकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर चौंका दिया है। मोहन यादव का नाम कहीं से भी चर्चा में नहीं था। लेकिन शाम को वह मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता चुन लिए गए। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर चौंकाने का सिलसिला अब भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं रह गई है। दिलचस्प यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में एक बहुत बड़ा राज खोला था। पीएम ने तब स्पष्ट कहा था कि जिस किसी का नाम मीडिया में चल रहा है। जिसके नाम से सुर्खियां बन रही हैं, समझ लीजिए वह पहले ही रेस से बाहर हो चुका है। वैसे तो यह बातें पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों को संबोधित करते हुए कही थीं। लेकिन इससे भाजपा में मुख्यमंत्री, मंत्री या अन्य बड़े पदों पर चयन की रणनीति के बारे में स्पष्ट इशारा मिल जाता है।



मोहन यादव होंगे मप्र के नये मुख्यमंत्री, जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम

सांसदों को संबोधित करते हुए दिया था इशारा

यह मौका था 2019 में भाजपा के दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद का। पीएम मोदी संसद के सेंट्रल हॉल में 25 मई के दिन एनडीए सांसदों को संबोधित कर रहे थे। मंत्रिमंडल बनाने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा था कि अभी कौन-कौन जीत के आया है यह लिस्ट उन्हें देखनी है। लेकिन इस देश में बहुत से नरेंद्र मोदी पैदा हो गए हैं, जिन्होंने मंत्रिमंडल बना दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर टोटल करें तो शायद 5-50 रह जाएंगे जो मंत्री की लिस्ट में नहीं आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जितने भी नाम मीडिया में चल रहे हैं वह केवल भ्रमित करने के लिए हैं। मोदी ने कहा था कि आप इस भ्रम में कभी मत आइए।

अगर मीडिया में नाम चला तो समझो रेस से आउट

सांसदों को संबोधित करते हुए उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं लंबे समय तक सीएम रहकर आया हूँ। पांच साल यहां भी रह चुका हूँ। मैं आपसे बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई आपसे कहे कि आपका तो तय है। आपका तो फलाना करा देगा तो ऐसा कुछ नहीं है। मोदी ने कहा कि इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी होता है, उसके लिए नॉर्म्स तय हैं। इन्हीं नॉर्म्स के आधार पर जो होना है वह होता है। उन्होंने कहा कि यहां कोई अपना-पराया नहीं है। जो जीतकर आया है सब मेरे ही हैं। दायित्व बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। इसलिए अगर कोई पहुंच जाए कि मेरा तो खास है कर देता हूँ, चक्कर में मत पड़ना। मोदी ने यह भी कहा था कि

अखबार में, टीवी में आ जाए तो उसको फोन करो बंद कीजिए। तुम मेरी इज्जत खराब कर रहे हो।

सुनाया था छत्तीसगढ़ का किस्सा भाजपा में पद पाने के लिए किस तरह से किसी पहचान या संबंधों को तवज्जो नहीं दी जाती। इस बात को नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान एक किस्से के जरिए बताया था। उन्होंने बताया कि मुझे याद है कि मैं गुजरात में सीएम था। हमारे छत्तीसगढ़ के एक कार्यकर्ता अहमदाबाद पहुंच गए। मोदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पार्टी प्रभारी रहने के दौरान उनसे परिचय था। जब वह पहुंचे तो मैंने पूछा कि कैसे आना हुआ? इस पर उन्होंने कहा कि कल आपका फोन

आया था। मोदी ने कहा कि मैंने कहा मैंने तो कोई फोन नहीं किया था। फिर उन्होंने बताया कि मुझसे कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने वाली है और मुझसे बताया गया कि जो मोदीजी क हेंगे

वैसी ही सरकार बनेगी। मोदी ने कहा कि मेरा छत्तीसगढ़ से कुछ लेना-देना नहीं था, लेकिन उनको किसी ने इतना खर्चा करके दौड़ा दिया। इसके आगे मोदी ने कहा था कि बहुत से लोग होंगे जो गुमराह करेंगे, इसलिए आपको बचकर रहना है।

कौन है मोहन यादव?

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो गया है। मोहन यादव मध्यप्रदेश के नये मुख्यमंत्री होंगे। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई पार्टी के विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। दो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला होंगे। वहीं, नरेन्द्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। मप्र के मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं। उम्र 58 वर्ष शैक्षणिक योग्यता बी.एस.सी., एल-एल.बी., एम.ए.(राज.विज्ञान), एम.बी.ए., पी.एच.डी. राजनीतिक जीवन 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्रसंघ के सह-सचिव, 1984 में अध्यक्ष, 2013 में विधायक बने। 2018 में दूसरी बार चुनाव जीतकर उच्च शिक्षा मंत्री बने।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित किया, अनुच्छेद 370 हटाना संवैधानिक रूप से सही-शाह

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने साबित कर दिया है कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था।

गृह मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के



बाद आए बदलावों का उल्लेख किया और अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र

मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्थायी शांति स्थापित करने और क्षेत्र के

सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे वह नए प्रोत्साहनों के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना हो, अत्याधुनिक शैक्षिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना हो, या कल्याणकारी लाभों के साथ गरीबों को सशक्त बनाना हो, हम इस क्षेत्र के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता जा रही रखेंगे।



बदलाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कभी हिंसा से जूझ रही घाटी में विकास और मानव जीवन को नए

मायने दिए हैं। पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में समृद्धि ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों के निवासियों की आय के स्तर को बढ़ा दिया है। गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल हो गए हैं और अलगाववाद और पत्थरबाजी अब अतीत की बातें हो गई हैं। पूरा क्षेत्र अब मधुर संगीत और सांस्कृतिक पर्यटन से गूंजता है। एकता के बंधन मजबूत हुए हैं और देश की अखंडता मजबूत हुई है।

सम्पादकीय

तपती धरती को शायद ही ठंडक पहुंचेगी

इस मौसम में जब शीतलहर शुरू होती है, दुनिया के बहुत सारे देश गर्मी झेल रहे हैं। पिछला महीना पिछले तीस वर्षों में सबसे गर्म नवंबर महीने के रूप में दर्ज हुआ। यह वर्ष बीतने को है, मगर तापमान बहुत सारी जगहों पर चौदह डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि भारत के कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का वातावरण बन चुका है, मगर अधिकतर मैदानी भाग गर्मी महसूस कर रहे हैं। बीता नवंबर पूर्व औद्योगिक काल से पौने दो डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म दर्ज हुआ। इसे लेकर दुनिया भर के पर्यावरणविदों की चिंता स्वाभाविक है। इन दिनों दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन चल रहा है। उसमें दुनिया के दो सौ वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी कर चेतावनी दी कि मौजूदा वृद्धि के कारण तापमान के पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी पांच महत्वपूर्ण सीमाओं के पार कर जाने का खतरा है। इस रिपोर्ट में छब्बीस महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। देखना है कि धरती के तापमान में ताजा वृद्धि और इसे लेकर जताई जा रही चिंताओं को लेकर दुनिया के देश कितनी गंभीरता दिखाते और क्या व्यावहारिक कदम उठाते हैं। हालांकि इस बारे में फिलहाल कोई दावा करना मुश्किल है, क्योंकि पिछले अट्ठाईस वर्षों से इस सम्मेलन में इसी तरह चिंताएं जताई जाती और एहतियाती कदम उठाने के संकल्प दोहराए जाते रहे हैं, मगर कोई व्यावहारिक रास्ता अभी तक नहीं निकाला जा सका है। जलवायु परिवर्तन के कारण स्पष्ट हैं। हर साल दुनिया के तमाम देश इस सम्मेलन में जुटते और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती, औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने के वादे करके वापस लौट जाते हैं। मगर सच्चाई यह है कि हर साल वैश्विक तापमान में कुछ वृद्धि ही दर्ज होती जा रही है। मौसम का मिजाज इस कदर बदल चुका है कि कहीं चक्रवात, बेमौसम तेज बारिश, तो कहीं ठंडे कहे जाने वाले शहरों में लू के थपेड़ों से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। इसका सबसे बुरा प्रभाव खेती-किसानी, बागबानी, पशुपालन पर पड़ रहा है। बहुत सारी वनस्पतियां और वन्यजीव खतरे की कगार पर पहुंच चुके हैं। भारत में इस वक्त जब गेहूं और दलहनी फसलों के लिए ठंडे मौसम और कोहरे की जरूरत होती है, तब धरती तप रही है। इससे फसलों की बढ़वार प्रभावित होगी। फिर पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि फरवरी का महीना शुरू होते ही मौसम में गर्मी लौट आती है। इस तरह फसलों में ठीक से दाने नहीं भरने पाते। इससे स्वाभाविक ही अन्न के उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। मौसम का चक्र बिगड़ने से अनेक नए प्रकार के विषाणु पनप रहे हैं, जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। वायु प्रदूषण और उससे पैदा होने वाली बीमारियों को रोकना बहुत सारे देशों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। इस तरह दुनिया भर में स्वास्थ्य खर्च बढ़ा है। जिन देशों का श्रमबल अधिक समय अस्वस्थता से जूझता है, वहां के उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ता है। इन तथ्यों से अब शायद ही कोई अपरिचित है। मगर हैरानी की बात है कि धरती पर जीवन के लिए खतरा बन चुके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपेक्षित संजीदगी कहीं नजर नहीं आती। कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और इसके दोषियों पर दंड के प्रावधान को लेकर अब तक कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं बन पाया है। इसके लिए कोष बनाने पर रजामंदी नहीं हो पाई है। इस तरह तो तपती धरती को शायद ही ठंडक पहुंचेगी।

मोदी सरकार के 7 फैसले जिन पर सुप्रीम कोर्ट की लगी मुहर

370 सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 की वैधता को बरकरार रखा है और सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म करने का राष्ट्रपति का आदेश वैध था। तीन तलाक, सेंट्रल विस्टा, मोदी सरकार के 7 फैसले जिन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ आई। दूसरी बार 2019 में भी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। भाजपा की जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकारी योजनाओं और बड़े फैसलों की अहम भूमिका रही है। इन फैसलों पर कई बार विपक्ष का तो कई बार आम जनता की नाराजगी का सामना भी पार्टी ने किया।

1- नोटबंदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का एलान किया। उन्होंने घोषणा की, कि अब 500 और 1000 हजार रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने यह फैसला मुख्य रूप से कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए लिया था। हालांकि, इस फैसले की विपक्षी दलों ने काफी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा 1000 और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहराया था।

2- अनुच्छेद 370

अनुच्छेद 370 का इतिहास देश के बंटवारे से जुड़ा है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी मसले से जुड़े कानून को राज्य में सीधे प्रभावी नहीं बना सकती थी। भारत की संसद को जम्मू-कश्मीर की सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य था। पांच अगस्त 2019 को केंद्र की केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करते हुए इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 की वैधता को बरकरार रखा है और सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म करने का राष्ट्रपति का आदेश वैध था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद-370 एक अस्थायी प्रावधान है।

3- तीन तलाक

सुप्रीम कोर्ट ने सालों पुरानी तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक बता सरकार को कानून बनाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने तीन तलाक पर कानून बनाया। इस कानून में यह बताया गया कि एकसाथ तीन बार तलाक बोलना या लिखकर निकाह खत्म करना अपराध माना जाएगा। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगस्त 2017 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा को निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया।

4- दिल्ली अध्यादेश विधेयक

दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991



लागू है जो विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। जिसमें दिल्ली में सरकार के संचालन, कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए थे।

दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, वह केजरीवाल सरकार के पक्ष में था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। केंद्र ने 'गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनंस, 2023 लाकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार वापस उपराज्यपाल को दे दिया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सही ठहराया।

5- आधार वैधानिकता

आधार कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। आधार के लिए एकत्र किए जाने वाले बायोमेट्रिक डाटा से निजता के अधिकार का हनन होने की बात कही गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर फैसला सुनाते हुए आधार की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। वहीं आधार को लेकर कहा कि प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों से आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगी।

6- सेंट्रल विस्टा परियोजना

पुराने संसद भवन की स्थिरता की चिंताओं के कारण 2010 में मौजूदा भवन को बदलने के लिए नए संसद भवन के प्रस्ताव के लिए एक समिति की स्थापना तत्कालीन अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2012 में की थी। भारत सरकार ने 2019 में एक नए

संसद भवन के निर्माण के साथ प्रधानमंत्री के लिए नया कार्यालय और संसद भवन की संकल्पना के साथ सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू हुई। नए भवन के लिए भूमिमांण अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ और 10 दिसंबर 2020 को पीएम द्वारा आधारशिला रखी गई थी।

इस मामले में पहले तो हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी। इसके बाद ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी, 2021 को अपना फैसला सुनाया और 2/1 के बहुमत से 13,500 करोड़ रुपये की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को हरी झंडी दी।

7- राफेल डील

भारत सरकार और फ्रांस के बीच लड़ाकू विमान राफेल को लेकर एक करार हुआ था। भारत ने इस करार के तहत फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल खरीदे थे। ये सौदा साल 2015 में पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान हुआ था। इस मामले में विपक्ष द्वारा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। विपक्ष का आरोप था कि राफेल सौदा अधिक कीमत पर किया गया। राफेल मामले की गूँज चुनाव तक सुनाई दी।

हालांकि, सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील को लेकर दो बार याचिकाएं दायर की गई थी। कोर्ट ने राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी थी।

सनातन धर्म हेतु महाकाल की नगरी में आयोजित होगी धर्म संसद



उज्जैन। सनातन धर्म के आधारभूत नियम और कर्तव्य तय न होने का कारण करोड़ों हिन्दू कीड़े मकोड़े की तरह कल्ल कर दिए गए-महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने पत्रकार वार्ता में कहा कि शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज व अग्नि अखाड़े के श्रीमहन्त रामेश्वरानंद जी ने यति सन्यासियों के साथ महाकाल की नगरी में सनातन धर्म के धर्मगुरुओं की धर्म संसद की घोषणा की। यह धर्म संसद श्रावण माह में 9,10 और 11 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी।

धर्मगुरुओं के साथ ही सम्पूर्ण विश्व से हिंदूवादी कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। श्रीमहन्त रामेश्वरानंद जी महाराज धर्म संसद के मुख्य संयोजक होंगे। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के शिष्य यति यतेन्द्रानंद जी व यति आत्मानंद जी उनके प्रतिनिधि के रूप में श्रीमहन्त रामेश्वरानंद जी के सहायक होंगे। प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए

महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी ने कहा कि आज सनातन धर्म अभूतपूर्व खतरे में है। हर तरफ से सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। सौ करोड़ सनातन के मानने वाले मौन होकर यह सब सहने के लिये विवश हैं क्योंकि वो केवल एक भीड़ बन कर रह गए हैं। अगर सनातन धर्म को बचना है और सनातन के मानने वालों को जिंदा रहना है तो इस सौ करोड़ की भीड़ को एक कौम में बदलना पड़ेगा। यह साधारण जनता का नहीं बल्कि धर्मगुरुओं का कार्य है।

सनातन के धर्मगुरुओं को अब एकमत होकर इस दिशा के सौ करोड़ सनातनियों को लेकर चलना चाहिये। इस गम्भीर विषय पर चर्चा के लिये श्रावण मास में 9,10 और 11 अगस्त 2024 को उज्जैन में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। यह धर्म संसद सनातन धर्म के मूलभूत नियम तय करने का विचार सन्त समाज के समक्ष रखेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि हमारे धर्मगुरुओं को समझना ही पड़ेगा कि

सनातन धर्म के आधारभूत नियम और कर्तव्यों के तय न होने के कारण ही आज तक करोड़ों हिन्दू कीड़े मकोड़े की तरह कल्ल कर दिए गए और कहीं कोई चर्चा तक नहीं हुई। यह स्थिति बहुत दिन तक जारी नहीं रह सकती। इस दुर्दशा को खत्म करने की जिम्मेदारी पूर्णतयः धर्मगुरुओं की है।

अगर धर्मगुरु अपनी यह जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो सनातन के विनाश के पूर्णरूपेण जिम्मेदार वो ही होंगे।

श्रीमहन्त रामेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि उज्जैन की पवित्र धरती पर होने वाली यह धर्मसंसद सनातन धर्म के इतिहास में प्रकाश स्तम्भ का कार्य करेगी। हम इस आयोजन को सफल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस कार्य के लिये हम सम्पूर्ण सन्त समाज को निमंत्रण भी देंगे और उनका मार्गदर्शन भी लेंगे। प्रेस वार्ता में स्वामी सुधाकर पूरी जी, यति सत्यदेवानंद जी, यति निर्भयानंद जी, यति रणसिंहानन्द जी महाराज तथा अन्य सन्त उपस्थित थे।

मलखंब प्रतियोगिता 8 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित होगी

उज्जैन। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में 67वीं राष्ट्रीय शालेय मलखंब प्रतियोगिता के आयोजन के सम्बन्ध में अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने प्रतियोगिता के सफलता के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन भलीभांति करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिये एडीएम श्री अनुकूल जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर ने साफ-सफाई आदि की व्यवस्था के लिये नगर निगम, पेयजल व्यवस्था के लिये पीएचई, बेरिकेट आदि की व्यवस्था के लिये लोनिवि, प्रतियोगिता के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये पीआरओ, भोजन व्यवस्था में गैस टंकी की उपलब्धता के लिये खाद्य विभाग, सुरक्षा व्यवस्था के लिये पुलिस, आकस्मिक चिकित्सा के लिये सीएमएचओ आदि व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को सौंपी है, जिनका

समय-समय पर दायित्वों का निर्वहन करें। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री आनन्द शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मलखंब प्रतियोगिता 14, 17, 19 आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं की प्रतियोगिता का शुभारम्भ 8 जनवरी को होगा और 12 जनवरी को समापन होगा।

प्रतियोगिता सरस्वती शिशु मन्दिर महाकालपुरम माधव सेवा न्यास भारत माता मन्दिर के पास होगी। प्रतियोगिता में लगभग 20 राज्यों के 900 खिलाड़ी भाग लेंगे।

प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिये आवास की व्यवस्था बालकों के लिये नृसिंह घाट स्थित राधाकृष्ण धर्मशाला, गुजराती रामी माली धर्मशाला, भील ठाकुर धर्मशाला एवं बालिकाओं के लिये आवास की व्यवस्था दशहरा मैदान स्थित छात्रावास, महाराजवाड़ क्रमांक-2 स्मार्ट छात्रावास एवं बालिका छात्रावास उत्कृष्ट उमावि में प्रस्तावित है।

कार्तिक मेला में शेष रही अस्थाई दुकान एवं भूमि आवंटन के लिए ई निविदा जारी

उज्जैन। नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा आयोजित कार्तिक मेला-2023 अंतर्गत शेष रही पदिमनी श्रृंगारबाजार ए व बी श्रेणी में स्थित अस्थायी दुकान व फुडड्रोन की भूमि, झुला क्षेत्र की भूमि एवं खुली भूमि को अस्थायी रूप से कार्तिक मेला अविध हेतु आवंटन किये जाने के लिये निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्यराशि से अधिक राशि की ई-निविदा आमंत्रित की गई है। उक्त ई-निविदा के आवेदन दिनांक 12.12.2023 को दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन जमा किये जा सकेंगे एवं उसी दिनांक को सांय 6 बजे तक संबंधित के द्वारा बीड प्रस्तुत की जा सकेंगी। प्राप्त ई-निविदायें दिनांक 12.12.2023 को

सांय 6 बजे के पश्चात खोली जावेगी। कार्तिक मेले में व्यवसाय हेतु इच्छुक व्यक्ति, संस्था, कम्पनी आदि विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम, उज्जैन की वेबसाइट www.nagarnigamuj-jain.org पर एवं राजस्व विभाग (अन्यकर) नगर पालिक निगम, उज्जैन के कक्ष क्रमांक 135 में एवं निगम मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रस्तुत करने हेतु RL <https://kartikmela.mpon-line.gov.in/> पर या फिर एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर भी ई-निविदा आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

नगरीय क्षेत्र में 14 दिसम्बर से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जायेगी

उज्जैन। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने समयावधि-पत्रों की समीक्षा के पूर्व सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल क्रियान्वयन का समन्वय के साथ कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। नगरीय क्षेत्र में यह यात्रा 14 दिसम्बर से प्रारम्भ होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 26 जनवरी के पूर्व संकल्प यात्रा समाप्त होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विकसित भारत संकल्प यात्रा की तिथि शीघ्र शासन से प्राप्त होने वाली है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की योजनाओं का लाभ वंचितों को दिलाने के साथ-साथ राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को दिलाया

जाये। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि संकल्प यात्रा के स्थान पर मुख्य विभाग छोटे-छोटे शिविर लगायें, ताकि अपने-अपने विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार हो सके और पात्र हितग्राहियों को लाभावित किया जा सके।

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बैठक में निर्देश दिये कि भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

प्रधानमंत्री प्रत्येक शनिवार को प्रदेश के चार जिलों से चर्चा कर पूरे प्रदेश के समस्त जिलों को कवर कर जिला कलेक्टरों से चर्चा करेंगे। जिला पंचायत सीईओ श्री मृणाल मीना ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की विस्तृत जानकारी देते हुए जिले में की जा रही यात्रा के सम्बन्ध में कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत

कराया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की प्रमुख महत्वपूर्ण योजनाओं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण योजना, दीनदयाल अन्नोदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम उज्जला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल-जलजीवन मिशन, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नेनो उर्वरक का उपयोग आदि के साथ शहरी क्षेत्रों की योजनाओं में पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्जला योजना, मुदा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया,

आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत अभियान, उजाला योजना, अमृत योजना, पीएम जनऔषधी परियोजना, सौभाग्य योजना आदि योजनाओं में वंचितों को लाभ पहुंचाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि उक्त योजनाओं में कोई पात्र हितग्राही छूटे नहीं। उन्होंने नगरीय एवं ग्रामीण के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये कि रूटचार्ट के अनुसार यात्रा के स्थल पर अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित रहकर योजनाओं का प्रचार-प्रसार के साथ वंचितों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाये। कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायतों के सीईओ विकसित भारत

संकल्प यात्रा पर अधिक फोकस करें और यात्रा को अच्छे तरीके से कड़ी मेहनत कर सफल बनायें।

लोगों को जोड़ने के लिये स्थानीय स्तर की भजन मण्डलियों को आमंत्रित किया जाये। इसी तरह जनप्रतिनिधियों को भी यात्रा में आमंत्रित किया जाये। जनपद स्तर पर सीईओ नोडल अधिकारी रहेंगे। सभी अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर यात्रा को बेहतर ढंग से सफल बनाकर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं का वंचितों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने समस्त राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रासरूट लेवल की बैठक लेकर सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।

अवंतिकानाथ ने चांदी की पालकी में सवार होकर शाही अंदाज में टाटबाट से नगर भ्रमण किया



उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की कार्तिक-मार्गशीर्ष (अगहन) माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में सोमवार शाम को अगहन मास की अंतिम एवं शाही सवारी धूमधाम से निकाली गई। अवंतिकानाथ ने चांदी की पालकी में सवार होकर शाही अंदाज में टाट-बाट के साथ नगर का भ्रमण कर अपनी प्रजा का हाल जाना। इस दौरान भगवान महाकाल ने मनमहेश स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दिया। सवारी में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान महाकाल के दर्शन किए।

सवारी निकलने से पूर्व सोमवार को दोपहर 3.30 बजे मंदिर के सभामंडप में भगवान महाकालेश्वर के मनमहेश स्वरूप का विधिवत

पूजन-अर्चन किया गया। इसके बाद सवारी नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बलों ने भगवान महाकाल को सलामी दी। इसके बाद सवारी शिप्रा तट की ओर रवाना हुई। सवारी में सबसे आगे महाकालेश्वर मंदिर का रजत ध्वज

और उसके पीछे पुलिस का अश्वरोही दल, पुलिस बैंड, सशस्त्र बल की टुकड़ियां चल रही थीं। शाही सवारी में परंपरागत नौ भजन मंडलियां भी शामिल हुईं।

बाबा महाकाल की शाही सवारी अपने परंपरागत मार्ग गुदरी चौराहा,

बक्षी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए शाम करीब छह बजे रामघाट पहुंची। यहां मां शिप्रा के जल से भगवान मनमहेश का अभिषेक किया गया। यहां पूजन उपरांत सवारी परम्परागत मार्ग से रामघाट से गणगौर दरवाजा, कार्तिक

चौक, सत्यनारायण मंदिर टंकी चौराहा, तेलीवाड़ा, कंठाल चौराहा, सती गेट, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए पुनः महाकालेश्वर मंदिर पहुंची।

महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि यह सवारी करीब सात किमी की रहती है। महाकाल की सवारी का रास्ते भर श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया गया।

शाही सवारी पर महाकाल का दर्शन करने के लिए देशभर से लाखों भक्त यहां आए। पालकी निकलते ही दोनों तरफ से महाकाल पर पुष्प वर्षा की गई। पालकी के साथ चल रहे भक्तों पर भी पुष्प बरसाए गए। व्यापारियों ने अपने-अपने प्रतिष्ठानों के सामने आकर्षक विद्युत सज्जा भी की।

भारतीय संस्कृति में मानव अधिकारों की स्थापना श्रीमद्भागवतगीता से मिलती है-पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा

उज्जैन। सृष्टि के समस्त प्राणी सम्मान से जीने का अधिकार रखते हैं। भारतीय संस्कृति में मानव अधिकारों की स्थापना श्रीमद्भागवतगीता से मिलती है। मार्कण्डेय पुराण समस्त प्राणियों को भयमुक्त, भाईचारा, समता, स्नेह और आनंद की शुभकामना करता है। सभी मनुष्य समान भाव से उन्नति करें, सभी को सम्मान से जीने का अधिकार हो, भेदभाव रहित जीवन ही मानव अधिकार की गरिमा है।

भारतीय संस्कृति सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम से ही संचालित हो रही है। विश्व में भारतीय संस्कृति इसलिए श्रेष्ठ रही है क्योंकि वह सर्वजन हिताय का संदेश दे रही है। भगवद्गीता में मानवाधिकार का स्वरूप व्यापक एवं सार्वभौम है। नैतिक, वैधानिक, मौलिक, सकारात्मक सभी अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ही है। विश्व के विभिन्न अधिकारों के संघर्ष के लिए ही डॉ. आम्बेडकर को जाना जाता है। वे वास्तविक रूप से मानवाधिकार के संरक्षक हैं। बाबा साहेब का मानना था कि मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है, जिसका संबंध प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से है। उन्होंने मानव अधिकारों को कानूनी प्रतिष्ठा दी है उक्त विचार उज्जैन पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने डॉ. आंबेडकर पीठ व कृषि विज्ञान अध्ययनशाला के संयुक्त आयोजन विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित डॉ. बीआर आंबेडकर मानवाधिकार के संरक्षक विषय पर व्याख्यान में व्यक्त किए।

सचिन शर्मा ने कहा कि अधिकारों का सौंदर्य कर्तव्य से, अनुशासन से, समभाव, समदृष्टि रखने से है। वर्तमान में हमें यह चिन्तन

करना होगा कि हम क्या है, हमारी हमारे प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या जवाबदेही है?

हमें अपने सीमित साधनों में, संसाधनों में अपनी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। क्योंकि अधिकारों का सौंदर्य कर्तव्य से है। इतिहास वही बदलते हैं जो चुनौतियों को, संघर्ष को स्वीकार करते हैं। डॉ. आम्बेडकर ने विषम, विपरीत परिस्थितियों को अपने दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, अनुशासन से उन परिस्थितियों को अपने समयानुकूल बनाकर अपनी योग्यता, परिश्रम से संविधान निर्माण का कार्य किया। बहुत आवश्यक अपने ध्येय, लक्ष्य को केन्द्र बनाकर समाज राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए माननीय कुलपति प्रो. अखिलेशकुमार पाण्डे ने कहा- विश्व मानव अधिकार दिवस 2023 की थीम है-स्वतंत्रता, समानता, न्याय है। अधिकार के साथ-साथ कर्तव्यबोध भी वर्तमान परिवेश की जरूरत है। कर्तव्य के बिना अधिकारों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता-स्वच्छंदता न हो इसका ध्यान रखना होगा। मानव



अधिकार क्योंकि हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्रकृति अर्थात् पर्यावरण की सुरक्षा भी हमारा दायित्व है। क्योंकि संपूर्ण पर्यावरण की सुरक्षा मानव अधिकार से जुड़ी है। बाबा साहेब का संपूर्ण चिंतन मानव अधिकार है और प्रगतिशील समाज की स्थापना का दर्शन है। हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों से अधिक मौलिक कर्तव्यों पर केन्द्रित होना, कार्य संस्कृति को समृद्ध करना है। अधिकारों, कानूनों का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग कर समाज, राष्ट्र को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी एवं पैरालीगल वॉलॉन्टियर एस.एस. नारंग ने कहा कि मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं, जिसकी भारतीय संविधान न केवल गारंटी देता है, बल्कि इसका उल्लंघन करने वालों को अदालत से सजा भी देने की व्यवस्था है। स्वागत भाषण व डॉ. आम्बेडकर पीठ की गतिविधियों के बारे में पीठ के आचार्य प्रो. एस.के. मिश्र ने बताया।

मोहन जी खड़े हो जाइए.....



मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम पर जारी सस्पेंस खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को प्रदेश की कमान दी है। डेढ़ दशक से ज्यादा समय तक प्रदेश के कप्तान रहे शिवराज सिंह चौहान ने ही उनके नाम का ऐलान किया।

साथ ही जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कहा जा रहा है कि खुद यादव नहीं जानते थे कि भाजपा उन्हें प्रदेश के शीर्ष पद पर भेजने की तैयारी कर रही है।

मोहन जी खड़े हो जाइए...

पर्यवेक्षक के तौर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यादव के नाम का ऐलान किया। इसके बाद बुधनी विधायक चौहान को आगे बुलाया गया और प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया। खास बात है कि इस पूरी चर्चा के दौरान यादव अंतिम पंक्ति में बैठे हुए थे। खबर है कि चौहान ने कहा, अरे मोहन जी, खड़े तो हो जाइए।

सोमवार सुबह यादव ही पूछ रहे थे कि किसको चुनेंगे?

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने जानकारी दी कि बैठक के दौरान उन्होंने साथी विधायकों से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि उन्हें कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावनाएं हैं।

कई बड़े नाम बस चर्चा में ही रहे

चुनाव के बाद से ही केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नामों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी था। सोमवार को तोमर और इंदौर-1 से विधायक चुने गए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी प्रस्ताव पर समर्थन जाहिर किया।